



Neutral Citation No. – 2026:AHC:62874

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या – 3915 वर्ष 2025

मोर्धज एवं अन्य

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षीगण

आवेदकगण के अधिवक्ता

: जय प्रकाश प्रसाद

विपक्षीगण के अधिवक्ता

: जी.ए., सुनील कुमार मिश्रा

न्यायालय संख्या – 81

माननीय न्यायमूर्ति चवन प्रकाश

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री जय प्रकाश प्रसाद, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार मिश्रा तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. वर्तमान आवेदन बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अंतर्गत विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय कक्ष संख्या 1, रामपुर द्वारा दिनांक 27.09.2024 को पारित आक्षेपित समन आदेश तथा परिवाद वाद संख्या 294 वर्ष 2024 (श्रीमती कमलेश बनाम मोर्धज एवं अन्य), धारा 354, 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना शाहबाद, जनपद रामपुर, जो विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय कक्ष संख्या 1, रामपुर के न्यायालय में लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त/अपास्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक संख्या 1 के पिता ने दिनांक 20.11.2022 को विपक्षी संख्या 2 सहित पांच व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 306 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत वाद अपराध संख्या 281 वर्ष 2023 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो दिनांक 16.11.2023 को घटित अपराध की घटना के संबंध में थी। अन्वेषण अधिकारी ने अन्वेषण पूर्ण करने के उपरांत विपक्षी संख्या 2 सहित तीन व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि विपक्षी संख्या 2 का विवाह नेकरपाल के साथ हुआ था, जो आवेदक संख्या 1 का भाई था। आरोप है कि आवेदक संख्या 1 के भाई नेकरपाल ने विपक्षी संख्या 2 तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उत्पीड़न किए जाने के कारण आत्महत्या कर ली। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान परिवाद विपक्षी संख्या 2 द्वारा प्रतिशोधस्वरूप तथा आवेदकगण पर दबाव बनाने के दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से दाखिल किया गया है। विपक्षी संख्या 2 ने दिनांक 14.05.2024 को घटित कथित घटना के संबंध में आवेदक संख्या 1 (देवर) तथा आवेदक संख्या 2 (ननदोई), श्रीमती राजेश (सास) और सुनीता (ननद) के विरुद्ध धारा 376, 511, 406, 420, 323, 504 तथा 506 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत झूठा एवं निराधार परिवाद दाखिल किया, जबकि ऐसी कोई घटना कभी घटित ही नहीं हुई। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि परिवादिनी का परीक्षण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अंतर्गत तथा उसके साक्षियों रामऔतार और राय सिंह का परीक्षण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के अंतर्गत किया गया। तत्पश्चात् विद्वान मजिस्ट्रेट ने आवेदक संख्या 1 (देवर) एवं आवेदक संख्या 2 (ननदोई) को धारा 354, 323, 504 एवं 506 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तलब किया। यह तर्क दिया गया कि आवेदकगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है। विद्वान मजिस्ट्रेट ने मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों का समुचित मूल्यांकन नहीं किया तथा न्यायिक विवेक के समुचित प्रयोग के बिना आक्षेपित समन

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आदेश पारित कर अवैधानिकता की है। अतः आक्षेपित आदेश स्पष्ट अवैधानिकता से ग्रस्त है और अपास्त किए जाने योग्य है।

4. इसके विपरीत, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत तर्कों का विरोध किया। यह प्रस्तुत किया गया कि विपक्षी संख्या 2 ने दिनांक 14.05.2024 की घटना के संबंध में आवेदकगण एवं दो अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध परिवाद दाखिल किया था, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उक्त घटना से लगभग 20 दिन पूर्व आवेदकगण ने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था। आगे आरोप लगाया गया है कि दिनांक 14.05.2025 को पंचायत आयोजित हुई, जिसमें आवेदकगण ने अपनी सास (श्रीमती राजेश) तथा ननद (सुनीता) के साथ मिलकर विपक्षी संख्या 2 के साथ मारपीट की और यदि उसने अपने स्त्रीधन अथवा दहेज की वस्तुओं की वापसी की मांग की तो उसे जान से मारने की धमकी दी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि परिवादिनी ने परिवाद में संपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में भी उनका समर्थन किया है तथा उसके साक्षियों ने भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के अंतर्गत दर्ज अपने बयानों में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। परिवाद तथा धारा 200 एवं 202 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दर्ज बयानों और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर विद्वान मजिस्ट्रेट ने आवेदकगण को सही रूप से तलब किया है। अतः वर्तमान आवेदन निरस्त किए जाने योग्य है।

5. अभिलेख के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि आवेदकगण के विरुद्ध आरोप है कि दिनांक 14.05.2024 की घटना से लगभग 20 दिन पूर्व उन्होंने विपक्षी संख्या 2 के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था। आगे आरोप है कि दिनांक 14.05.2025 को पंचायत आयोजित हुई, जिसमें आवेदकगण ने अपनी सास (श्रीमती राजेश) तथा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



ननद (सुनीता) के साथ मिलकर विपक्षी संख्या 2 के साथ मारपीट की और यदि उसने अपने स्त्रीधन अथवा दहेज की वस्तुओं की वापसी की मांग की तो उसे जान से मारने की धमकी दी। परिवादिनी का परीक्षण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अंतर्गत तथा साक्षियों, अर्थात् रामऔतार एवं राय सिंह का परीक्षण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के अंतर्गत किया गया। विद्वान मजिस्ट्रेट ने यह मत बनाया कि आवेदकगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध बनता है और आवेदकगण को धारा 354, 323, 504 एवं 506 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तलब किया।

6. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के परिशीलन तथा इस स्तर पर मामले के तथ्यों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदकगण के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सभी तर्क विवादित तथ्य के प्रश्न से संबंधित हैं, जिनका इस न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निर्णयन नहीं किया जा सकता। इस स्तर पर केवल प्रथम दृष्टया मामले का परीक्षण किया जाना है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 866, हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 एस.सी.सी. (क्रि.) 426, बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा, 1992 एस.सी.सी. (क्रि.) 192 तथा अंततः जंडू फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम मोहम्मद सराफुल हक एवं अन्य, (पैरा-10) 2005 एस.सी.सी. (क्रि.) 283 के मामलों में प्रतिपादित विधि के आलोक में किया जाना है। अभियुक्त का विवादित प्रतिरक्षा पक्ष इस स्तर पर विचारणीय नहीं है।

7. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मुझे उपर्युक्त वाद को निरस्त करने का कोई आधार नहीं मिलता है। अतः उसे निरस्त करने की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

8. तदनुसार, आवेदन निरस्त किया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति चवन प्रकाश)

24 मार्च, 2026

एम.डी. फैसल

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”